क्वैश्चन पुकार लिया है, वे बोलेंगे, उसका जवाब होगा। ...(व्यवधान)... आप ठहर जाइए ... (व्यवधान)...

श्रीमती माया सिंह:+

श्री सभापति: नहीं, इस क्वैश्चन पर नहीं, दूसरे क्वैश्चन पर पूछिए, ...(व्यवधान)... दूसरे क्वैश्चन पर आप पूछिए, इस पर मैं अलाऊ नहीं करूंगा। ...(व्यवधान)... मैंने दूसरा क्वैश्चन पुकार लिया है ...(व्यवधान)...

जल स्त्रोतों की मरम्मत, नवीकरण और उन्हें पुन: चालू करने के राष्ट्रीय परियोजना

*544 **श्री बशिष्ठ नारायण सिंह:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जल स्त्रोतों की मरम्मत, नवीकरण और उन्हें पुन: चालू करने के लिए आरंभ की गई राष्ट्रीय परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ आरंभ की गई प्रायोगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस योजना का विस्तार पूरे देश में करने पर विचार कर रही है; और

(घ) उक्त योजना का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है?

जल संसाधन मंत्री (प्रो॰ सैफुद्दीन सोज): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) "कृषि से सीधे तौर पर जुड़े जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार संबंधी राष्ट्रीय परियोजना प्रायोगिक परियोजना के रूप में जनवरी, 2005 में स्वीकृत की गई थी। यह परियोजना राज्यों के एक या दो जिलों में कार्यान्वित की जानी है। दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली स्कीम का कुल योजना परिव्यय 300 करोड़ रुपए

---

* Not Recorded

है जिसे केन्द्र और राज्य द्वारा 3:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा। 40 हेक्टेयर और 2000 हेक्टेयर तक की मूल सिंचाई कृष्य कमान क्षेत्र वाले जल निकाय वित्त के पात्र हैं। राज्य-वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रायोगिक स्कीम का कार्यान्वयन प्रगति पर है और परिणामों का अभी मूल्यांकन किया जाना है। इसलिए, पूरे देश में इस स्कीम का विस्तार करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) गैर-सरकारी संगठनों और जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यूएएस) के सहयोग से जिला स्तरीय कार्यान्वयन समितियां बनाई गई हैं। प्रगति की निगरानी करने के लिए सभी सहभागी राज्यों के साथ समीक्षा बैठकें की गई हैं। इसके अतिरिक्त, स्थल संबंधी निरीक्षण करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की तैनाती की गई है।

विवरण-I

प्रायोगिक स्कीम के तहत राज्यवार अनुमोदित जिला परियोजनाएं

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिले का नाम	शामिल जल निकायों की संख्या	स्वीकृत लागत (रुपये करोड़ में)	जारी केन्द्रीय हिस्सा (रुपये करोड़ में)		
					2004-05	2005-06	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	महबूब नगर	224	32.84	2.44	2.7	5.14
		अंनतपुर	37	13.77		7.6625	7.6625
2	कर्नाटक	गुलबर्गा	117	35.537	4.42	10.13	14.55
		बंगलौर ग्रामीण	182	38.068	1	6.95	7.95
3	झारखंड	सरायकेला	25	3.14	0.33	0.649	0.979
		पलामू	52	11.06	1.17	0.525	1.695
4	छत्तीसगढ़	कबीरधाम	10	2.236		1.1058	1.1058

1	2	3	4	5	6	7	8
5	उड़ीसा	गंजम	68	12.82	1.14	6.81	7.95
		गजपति	.59	6.01	0.55	3.19	3.74
6	राजस्थान	अजमेर	4	4.489		2.25	2.25
		पाली	1	2.45		1.5	1.5
7	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	15	4.934	0.74	0.565	1.305
		दक्षिण 24 परगना	74	18.664	0.21	1.2	1.41
8	तमिलनाडु	शिवगंगई	8	1.222		0.458	0.458
		विल्लुपुरम	38	9.372		3.5145	3.5145
9	मध्य प्रदेश	टीकमगढ़	5	3.923		0.70	0.7
		शिवपुरी	65	41.28		15.00	15
10	हिमाचल प्रदेश	मंडी	13	1.0401		0.312	0.312
11	जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा	22	3.0588		1.275	1.275
12	केरल	पलाक्काड	10	1.3753		0.6	0.6
		पथनामथिट्टा	13	1.404		0.526	0526
13	गुजरात	साबरकांठा	17	6.5512		2.654	2.654
		बनासकांठा	25	7.6653		3.1	3.1
14	महाराष्ट्र	बीड	32	36.8828		13.831	13.831
कुल	**14**	**24**	**1116**	**299.7925**	**12.00**	**87.2078**	**99.2078**

National Project for Repair, Renewal and Restoration of Water Bodies

†*544. SHRI BASHISTHA NARAIN SINGH: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the details of the National Project started for repair, renewal and restoration of water bodies;

(b) the results of the pilot projects started for the same;

(c) whether Government are considering to enlarge the scope of this scheme to the whole country; and

(d) the measures Government have undertaken to ensure the proper implementation of the said scheme?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (PROF. SAIF-UD-DIN SOZ): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) "National Project for Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies directly linked to Agriculture" was sanctioned as a pilot project in January 2005. The project is to be implemented in one or two districts each in the States. The total plan outlay for the scheme to be implemented in the remaining period of the Xth Five Year Plan is Rs. 300 crores to be shared by Centre and State in the ratio of 3:1. Water bodies having original irrigation culturable command area of 40 hectare and up to 2000 hectare are eligible for finance. The State-wise details are given in the Statement-I (*See* Below)

(b) and (c) The Pilot Scheme implementation is in progress and the results are yet to be evaluated. Therefore, no decision has yet been taken on enlarging the scope of the scheme in the whole country.

(d) District level implementation committees have been formed involving the participation of the NGOs and Water Users Associations (WUAs). Review meetings have been held with all the participating States to monitor the progress. Further, officers of the Ministry have been deputed for on site inspections.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement-I

Statewise approved district projects under the Pilot Scheme

Sl. No.	Name of State	Name of District	No. of water bodies included	Sanctioned cost (Rs. in crore)	Central share released (Rs. in crore)		
					2004-05	2005-06	Total
1	Andhra Pradesh	Mahabub Nagar	224	32.84	2.44	2.7	5.14
		Anantpur	37	13.77		7.6625	7.6625
2	Karnataka	Gulbarga	117	35.537	4.42	10.13	14.55
		Bangalore Rural	182	38.068	1	6.95	7.95
3	Jharkhand	Saraikela	25	3.14	0.33	0.649	0.979
		Palamu	52	11.06	1.17	0.525	1.695
4	Chhattisgarh	Kabir Dham	10	2.236		1.1058	1.1058
5	Orissa	Ganjam	68	12.82	1.14	6.81	7.95
		Gajapati	59	6.01	0.55	3.19	3.74
6	Rajasthan	Ajmer	4	4.489		2.25	2.25
		Pali	1	2.45		1.5	1.5
7	West Bengal	Uttar Dinajpur	15	4.934	0.74	0.565	1.305
		South-24 Paraganas	74	18.664	0.21	1.2	1.41
8	Tamil Nadu	Sivagangai	8	1.222		0.458	0.458
		Villupuram	38	9.372		3.5145	3.5145
9	Madhya Pradesh	Tikamgarh	5	3.923		0.70	0.7
		Shivpuri	65	41.28		15.00	15
10	Himachal Pradesh	Mandi	13	1.0401		0.312	0.312
11	Jammu & Kashmir	Kupwara	22	3.0588		1.275	1.275
12	Kerala	Palakkad	10	1.3753		0.6	0.6
		Pathanamthitta	13	1.404		0.526	0.526
13	Gujarat	Sabarkantha	17	6.5512		2.654	2.654
		Banaskantha	25	7.6653		3.1	3.1
14	Maharashtra	Beed	32	36.8828		13.831	13.831
TOTAL	14	24	1116	299.7925	12.00	87.2078	99.2078

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह: माननीय सभापति जी, जो जवाब मंत्री जी के द्वारा सदन में दिया गया है, उसमें मूल्यांकन की बात कही गई कि अभी इसका मूल्यांकन नहीं हुआ है। देश के इन जल-निकायों का गांव के किसानों के लिए, खेती के लिए, सिंचाई के अच्छे प्रबंधन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह एक योजना वर्ष 2005 में बनी थी, लेकिन इसका अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। तो इसका मूल्यांकन कब तक किया जाएगा? सरकार ने इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है या सरकार इस योजना को इसी ढंग से लंबे काल तक ले चलना चाहती है? गांवों के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है। क्या सरकार इस योजना को गंभीरता से ले रही है या नहीं ले रही है? इस योजना के कार्यान्वयन से भारी पैमाने पर गांवों को फायदा होगा और देश के किसानों को फायदा होगा। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसका मूल्यांकन कब तक होगा और पूरे देश में यह योजना लागू की जाएगी या नहीं की जाएगी? इसका मंत्री जी जवाब दे दें।

PROF. SAIF-UD-DIN SOZ: Sir, through you, I want to inform this august House that this Scheme was formulated in the very first Budget. This idea came from the hon. Finance Minister at that time that we need to have a scheme which is very effective and is available to the farmers so that agriculture augmentation and irrigation potential will be improved. He told the nation at that time that funds will not be a difficulty and that water bodies in the country, over a period of time, must be revived so that they become a very good source for irrigation. My Ministry has implemented this Scheme. It was initiated in 2004-05. Its life will be up to 2007. But now in the Ministry, there is a thinking that we shall approach the Cabinet to ask for more funds because many States have not yet participated. I will come to evaluation. Sir, this has been implemented in 14 States and 24 districts have been chosen because one or two districts had to be chosen for this Scheme. Only 14 States have benefited from this and many States, that is, ten States have approached us. The funding of Rs. 300 crores is in the ratio of 3:1, that is, 75 per cent by the Government of India; now it is a grant, and 25 per cent will be provided by the State Governments. We have an allocation of Rs. 113 crores this

year. We shall bring these ten more States into this Scheme and implement it vigorously.

As far as evaluation is concerned, it is a very right question. I have myself thought that evaluation should be done, and it will be done very shortly. There will be a proposal for more funding because all the water bodies in the country shall have to be brought under the purview of the Scheme so that irrigation potential is augmented. In Bharat Nirman also; we attempt to do it very vigorously.

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह: सभापति जी, मंत्री जी ने कहा है कि कुछ राज्यों में इसके अच्छे परिणाम भी निकले हैं। जब कोई भी राष्ट्रीय योजना बनती है, तो उसका लक्ष्य यह जरूर रहता है कि उस योजना का लाभ सारे राज्य उठाएं। इस परियोजना को राज्यों के एक या दो जिलों में लागू किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको गंभीरता से ले रही है या नहीं ले रही कि यदि इस परियोजना के औचित्य पर, इस परियोजना के महत्व पर कन्वीन्स भी है, तो इस परियोजना को, चूंकि हमारा देश कृषि-प्रधान देश है, सारे राज्यों में लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या कठिनाई हो रही है? आखिर सरकार को यह संकल्प लेने में या इस परियोजना को लागू करने में क्या कठिनाई हो रही है?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: जनाब, अर्ज यह है कि बुनियादी तौर पर इरिगेशन स्टेट का सबजेक्ट है। मर्कजी सरकार जो है, वह कोई चीज ठूंस नहीं सकती। यह स्कीम पूरी कंट्री के लिए एनाउन्स हो गई है। कुछ स्टेट्स ने एप्लाई नहीं किया, प्रोजेक्ट नहीं बनाया। वही स्टेट्स इस स्कीम से फायदा उठा सकती हैं, जो मंत्रालय के पास डिसकशन करने के लिए आएंगी। अभी मैंने अर्ज़ किया कि जिन स्टेट्स को इसमें फायदा हुआ है, वे 14 स्टेट्स हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं, मैं बता सकता हूं कि कौन सी स्टेट्स हैं और जो अब ...(**व्यवधान**)..

†[پروفیسر سیف الدین سوز : جناب، عرض یہ ہے کہ بنیادی طور پر اِری گیشن اسٹیٹ کا سبجکٹ ہے۔ مرکزی سرکار جو ہے، وہ کوئی چیز ٹھونس نہیں سکتی۔ یہ اسکیم پورے کنٹری کے لئے اناؤنس ہوگئی ہے۔ کچھ اسٹیٹس نے ایپلائی نہیں کیا ہے، پروجکٹ نہیں بنایا۔ وہی اسٹیٹس اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، جو منسٹرالیہ کے پاس ڈسکشن کرنے کے لئے آئیں گی۔

ابھی میں نے عرض کیا کہ جن اسٹیس کو اس میں فائدہ ہوا ہے، وہ ۱۴ اسٹیٹس ہیں۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، میں بتا سکتا ہوں کہ کون سی اسٹیٹس ہیں اور جواب....مداخلت...]

†[] Transliteration in Urdu Script.

श्री सभापति: आप रहने दीजिए, कृपा करके।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़: जिनको ला रहे हैं इस ऐम्बिट में उनकी भी मेरे पास लिस्ट है।

अब जो स्टेटस इसके दायरे में आएंगी, उनमें अरुणाचल प्रदेश है ...(व्यवधान)...

پروفیسر سیف الدین سوز : جن کو لا رہے ہیں اس ایمبٹ میں ان کی بھی میرے پاس لسٹ ہے۔ اب جو اسٹیٹس اس کے دائرے میں آئیں گی، ان میں اروناچل پردیش ہے .....مداخلت.....

श्री सभापति: आप हमें यह मत बतलाइए, आप बड़े होशियार मंत्री हैं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: असम है, गोवा है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, सिक्किम है, पंजाब है ...(व्यवधान)... और यूनियन टेरेटरीज भी इसके दायरे में आ जाएंगी और हम 300 करोड़ के करीब फिर से मांग रहे हैं इसके लिए, ताकि पूरे मुल्क में सारी स्टेट्स इसका फायदा उठाएं और जहां तक वाटर बॉडीज़ का ताल्लुक है, अभी यह काम बहुत बढ़ना है आगे और मान लीजिए कि 3,000 वाटर बॉडीज़ इस दायरे में आ जाएंगी, जबकि इस मुल्क में 24,000 वाटर बॉडीज़ हैं। इसलिए, मेरी नज़र में यह स्कीम बहुत फायदेमंद है, इसका आग्मेंट किया जाना चाहिए और सारे मुल्क की वाटर बॉडीज़ को रिवाइव होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपके साथ। जहां तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ताल्लुक है, वह तो सीरियस है ही, यह तो गवर्नमेंट की स्कीम है और बहुत ही लॉडेबल, मैं आपका टाइम इस वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता...(व्यवधान)...

پروفیسر سیف الدین سوز : آسام، گوا ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، میزورم ہے، سکم ہے، پنجاب ہے .....مداخلت.....اور یونین ٹیریٹریز بھی اس کے دائرے میں آجائیں گی اور ہم ۳۰۰ کروڑ کے قریب پھر سے مانگ رہے ہیں اس کے لئے، تاکہ پورے ملک میں ساری اسٹیٹس اس کا فائدہ اٹھائیں اور جہاں تک واٹر باڈیز کا تعلق ہے، ابھی یہ کام بہت بڑھنا ہے آگے اور مان لیجئے کہ ۳۰۰۰ واٹر باڈیز اس دائرے میں آجائیں گی، جب کہ اس ملک میں ۲۴۰۰۰ واٹر باڈیز ہیں۔ اس لئے، میری نظر میں یہ اسکیم بہت فائدہ مند ہے، اس کا آگمنٹ کیا جانا چاہئے اور سارے ملک کی واٹر باڈیز کو ریوایو ہونا چاہئے۔ میں سہمت ہوں آپ کے ساتھ۔ جہاں تک گورنمنٹ آف انڈیا کا تعلق ہے، وہ تو سنجیدہ ہے ہی، یہ تو گورنمنٹ کی اسکیم ہے اور بہت ہی لاڈیبل، میں آپ کا ٹائم اس وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا.....مداخلت.....

---

†[] Transliteration in Urdu Script.

श्री सभापति: कर दिया टाइम तो आपने जाया, बहुत कर दिया।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज: जो पहला बजट इस गवर्नमेंट का था, उस पहले बजट में ही ऐलान कर दिया गया था कि हम चाहते हैं कि इरिगेशन पोटेंशियल को वाटर बॉडीज़ के रिवाइवल से हम आग्मेंट करें, वह तो एक कमिटमेंट है।

[†] **پروفیسر سیف الدین سوز :** جو پہلا بجٹ اس گورنمنٹ کا تھا، اس پہلے بجٹ میں ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ ہم / چاہتے ہیں کہ اری گیشن پوٹانشیل کو واٹر باڈیز کے ریوائیول سے ہم آگمنٹ کریں، وہ تو ایک کمٹمنٹ ہے۔ [

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री सभापति: आप क्वेश्चन कर लीजिए, समय बहुत कम रह गया है।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनकी निगाह में उच्चतम न्यायालय का वह निर्णय है, जिसमें उन्होंने तमाम ऐसे तालाबों और जल संकायों को, जो परम्परागत थे और जिन्हें लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्ज़े में कर लिया है, उन्हें पुन: वापिस कराकर जल संकाय के रूप में विकसित करने के बारे में कहा गया है? यदि है, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है और यदि नहीं है, तो उस पर कब तक कार्यवाही होगी?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़: सर, मेरा अर्ज यह है कि जब भी आप कोर्ट को क्रेडिट देना चाहें किसी मुद्दे के लिए, आपको इजाजत है, लेकिन एग्ज़िक्यूटिव का जो फंक्शन है, इस गवर्नमेंट ने, UPA सरकार ने पहले बरस में, पहले बजट में यह आश्वासन दिया मुल्क को कि इरिगेशन बहुत जरूरी है और वाटर बॉडीज़ को रिवाइव होना है। सुप्रीम कोर्ट का वह आर्डर भी मैं देखूंगा, लेकिन पहले मुझे यह कहना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे वज़ीरे आज़म ने, प्राइम मिनिस्टर ने मुल्क को क्या कहा। मैं आपसे यह अर्ज़ करना चाहता हूं ऑनरेबल चेयरमैन साहब के माध्यम से कि इस इरिगेशन पोटेंशियल को बहुत बढ़ावा देने के पूरे-पूरे यत्न किए जाएंगे और मैं भी इस स्कीम को बहुत मुफीद समझता हूं क्योंकि इससे फारमर्स को अपने घर के नज़दीक पानी मिलेगा।

[†] **پروفیسر سیف الدین سوز :** سر، میرا عرض یہ ہے کہ جب بھی آپ کورٹ کو کریڈٹ دینا چاہیں کسی مدے کے لئے، آپ کو اجازت ہے، لیکن ایگزیکیٹو کا جو فنکشن ہے، اس گورنمنٹ نے، UPA سرکار نے پہلے برس میں، پہلے بجٹ میں یہ آشواسن دیا ملک کو کہ اری گیشن بہت ضروری ہے اور واٹر باڈیز کو ریوائیو ہونا ہے۔ سپریم کورٹ کا وہ آرڈر بھی میں دیکھوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے، ہمارے وزیر اعظم نے، پرائم منسٹر نے ملک کو کیا کہا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آنریبل چیئرمین صاحب کے مادھیم سے کہ اس اری گیشن پوٹینشیل کو بہت بڑھاوا دینے کے پورے پورے جتن کئے جائیں گے اور میں بھی اس اسکیم کو بہت مفید سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے فارمرس کو اپنے گھر کے نزدیک پانی

†[] Transliteration in Urdu Script.

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: इसीलिए तो, फारमर्स के घर के नज़दीक जो तालाब थे, उन पर लोगों ने गैर कानूनी ढंग से कब्जे कर लिए, उन्हें बंद कर दिया। उन्हें रेस्टोर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़: वह तो है, रेस्टोर होंगे। हम ऐफर्ट करेंगे, रेस्टोर हो जाएंगे। ...(**व्यवधान**)...

†(پروفیسر سیف الدین سوز : وہ تو ہے، ریسٹور ہونگے، ہم ایفرٹس کریں گے۔ ریسٹور ہو جائیں گے۔ ....مداخلت....)

श्री सभापति: अब आप दोनों ही बैठ जाइए, सब सेटिस्फाइड हैं। श्री गिल।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: सेटिस्फाइड नहीं हैं।

डा॰ एम॰ एस॰ गिल: सभापति जी, सारे मानेंगे कि मामला बहुत गंभीर है और सवाल तथा सॉल्यूशन पूरा नहीं है। 30 परसैंट इरिगेशन भी इस देश में नहीं है, यह सूखे का देश है और गरीबी सूखे के साथ जुड़ी हुई है। यह 300 करोड़ की स्कीम है, पायलट स्कीम है और दो साल में सिर्फ 100 करोड़ बांटा गया है। मैं, सभापति जी, आपका स्टेट लेता हूं, वहां 2 करोड़ अजमेर में और एक करोड़ पाली डिस्ट्रिक्ट में गया है, दो साल में। शिवपुरी, मध्य प्रदेश में इन्होंने लिखा है, वहां तो एक करोड़ भी नहीं है और सबका अगर मैं गिनूं तो 100 करोड़ दो साल में दिया है, जबकि स्कीम 300 करोड़ की है। सभापति जी, सवाल तो यह है कि लाखों रुपए वेस्ट भी होते हैं, ये देते भी हैं सड़कों के लिए या किसी और स्कीम के लिए। क्यों नहीं ये ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब आप मंत्री जी को बोलने का मौका दें, एक मिनट का समय रह गया है।

डा॰ एम॰ एस॰ गिल: क्यों नहीं ये 1000 करोड़ या 500 करोड़, 100 फीसदी, सैंटर से राजस्थान को या स्टेट्स को देते?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़: सर, गिल साहब ने जो सबाल उठाया है, मैं उनके मुत्ताफिक हूं, इरिगेशन को पूरी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। जिस वक्त यह प्रपोजल रखा गया था, उस वक्त बताया गया था कि इसके लिए काफी पैसा मुहैया है। लेकिन, हम जो खर्च कर पाए हैं, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं क्योंकि इरिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, उनके वहां डिफिकल्टीज हैं – लैंड लेना है, पैसा ढूंढना है, लेकिन मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने के लिए पूरे मुल्क में बहुत पैसा चाहिए। यह मामला कैबिनेट के सामने आ जाएगा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं ये बातें कैबिनेट के सामने रखूंगा और पैसा मिलेगा।

---

†[] Transliteration in Urdu Script.

پروفیسر سیف الدین سوز : سر، گل صاحب نے جو سوال اٹھایا ہے میں ان سے متفق ہوں، اِری گیشن کو پوری اسپارٹنس ملنی چاہئے۔ جس وقت یہ پروزل رکھا گیا تھا، اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس کے لئے کافی پیسہ مہیا ہے۔ لیکن ہم جو خرچ کر پائے ہیں، اس میں بڑی مشکلات ہیں کیوں کہ اِری گیشن اسٹیٹس سبجکٹ ہے، ان کے وہاں ڈفیکلٹیز ہیں۔ لینڈ لینا ہے، پیسہ ڈھونڈنا ہے لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واٹر باڈیز کو ریوائیو کرنے کے لئے پورے ملک میں بہت پیسہ چاہئے۔ یہ معاملہ کیبنیٹ کے سامنے آجائے گا۔ میں آپ کی خواہش کے مطابق میں یہ باتیں کیبنیٹ کے سامنے رکھوں گا اور پیسہ ملے گا۔

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Promotion of Tourism in Maharashtra

†*545. SHRI DATTA MEGHE: Will the Minister of TOURISM AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Government of Maharashtra has sent a proposal to the Central Government to boost tourism in Maharashtra;

(b) if so, what effective steps are being taken by Government to promote tourism in Maharashtra; and

(c) what steps are being taken to develop places of archaeological importance in Maharashtra as tourist destinations?

THE MINISTER OF TOURISM AND CULTURE (SHRIMATI AMBIKA SONI): (a) Identification of places of tourist interest/spots is primarily the responsibility of the State Government concerned. However, the Department of Tourism provides funds on the basis of project proposals submitted by the State Government that have been prioritised

---

†[] Transliteration in Urdu Script.
†Original notice of the question was received in Hindi.